**न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0), कक्ष सं0–42, लखनऊ।**

मूलवाद संख्या–758 / 2008

CNR NO.UPLK05-001402-2008

अंजनदीप सिंह व अन्य बनाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी व अन्य

**दिनांक–20.04.2019**

पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित।

पत्रावली वाद बिन्दु सं0–2, 4 व 7 के निस्तारण हेतु नियत है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वाद बिन्दु सं0–2 दिनॉक 10.11.2014 को उभय पक्ष की उपस्थिति में निस्तारित किया जा चुका है। इसी आशय का कथन उभय पक्ष ने भी किया है। पुनः वाद बिन्दु सं0–2 के निस्तारण की आवश्यकता नहीं है।

प्रार्थना–पत्र सी–92 विपक्षी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि टाइप की त्रुटि से वाद बिन्दु सं0–7 में आदेश 7 के स्थान पर आदेश 6 नियम 11 सीपीसी लिख गया है।

अतः उक्त त्रुटि को संशोधित करने हेतु अनुमति प्रदान करने की याचना विपक्षी ने की है।

वादी ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना–पत्र सी–92 विपक्षी के द्वारा वाद बिन्दु सं0–7 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि त्रुटिवश वाद बिन्दु सं0–7 में आदेश 7 के स्थान पर आदेश 6 अंकित हो गया है जिसे संशोधित करने की याचना की गयी है। प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा प्रतिवदीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा वाद बिन्दु सं0–7 आदेश 6 नियम 11 सीपीसी से वादी का वाद बाधित है, के संबंध में विरचित किया गया है। टंकण की त्रुटि से आदेश 7 के स्थान पर आदेश 6 अंकित हो गया है जिस त्रुटि का सुधार किया जाना आवश्यक है। अतः आदेश 14 नियम 5 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये वाद बिन्दु सं0–7 संशोधित किया जाता है तथा आदेश 6 के स्थान पर आदेश 7 किया जाता है।

प्रार्थना–पत्र सी–92 स्वीकार किया जाता है। वादीगण संशोधन करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0–3, 4 व 7 दिनॉक 27.04.2019 को पेश हो। टी0आई0 नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

(मीरा गोठलवाल)
अपर सिविल जज(सी0डि0)
कक्ष सं0–42, लखनऊ।